बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 148/2025

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 के लिए सूचीकृत/पंजीकृत विद्यार्थी का
(i) डमी सूचीकरण/पंजीकरण कार्ड समिति की वेबसाईट (पोर्टल) पर जारी करने, (ii) उसमें परिलक्षित त्रुटि का ऑनलाईन सुधार करने एवं
(iii) विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण/पंजीकरण कार्ड को समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के संबंध में

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि सत्र 2024–26 के लिए सूचीकृत इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने वाले वैसे विद्यार्थी, जिनका ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन आवेदन निर्धारित अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भरा गया है, का **डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड (Dummy Registration Card)** समिति की वेबसाईट क्रमशः– **इन्टरमीडिएट के लिए http://seniorsecondary.biharboardonline.com** पर एवं **माध्यमिक के लिए https://secondary.biharboardonline.com पर अपलोड कर दिया गया है, जो दिनांक 05.07.2025 से 25.07.2025 तक उपलब्ध रहेगा।**

2. डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना

(क) शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने User ID एवं Password के माध्यम से उक्त वेबसाईट पर Login करने के बाद डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अपने संस्थान के विद्यार्थी को दो प्रतियों में प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन भरे गये सूचीकरण/पंजीयन आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाईल पर भी इस आशय की सूचना SMS (Message) के माध्यम से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी स्वयं भी समिति के उक्त वेबसाईट से अपना **डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड** निम्नवत प्रक्रिया के तहत डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैः–

i. वेब ब्राउजर के Address Bar में इन्टरमीडिएट के लिए **http://seniorsecondary.biharboardonline.com** एवं माध्यमिक के लिए **https://secondary.biharboardonline.com** टाईप कर Enter करेंगे :–

ii. वेब पेज पर मौजूद "Click Here to Download Dummy Registration Card" लिंक पर Click करेंगे।

iii. तत्पश्चात् वेबसाईट का पेज खुलेगा, जहाँ पर विद्यार्थी अपना शिक्षण संस्थान कोड, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि (एवं संकाय केवल इन्टरमीडिएट के लिए) प्रविष्ट कर, "Submit Button" पर Click करेंगे।

iv. इसके बाद विद्यार्थी का Dummy Registration Card दिखेगा जिसे कम्प्यूटर/मोबाईल में Download किया जा सकता है।

(ग) विद्यार्थी Android Mobile App के माध्यम से भी अपना Dummy Registration Card निम्नांकित प्रक्रिया के तहत डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है :–

i. Google Play Store पर जाएँ।

ii. "BSEB Information App" को Search करें तथा Download कर Install करें।

iii. Mobile App Open कर Home Page पर जाकर उपलब्ध लिंक इन्टरमीडिएट के लिए **http://ssonline.biharboardonine.com** एवं माध्यमिक के लिए **https://secondary.biharboardonline.com** पर क्लिक करें।

iv. App पर माँगे गए विवरण को भरें, तत्पश्चात Dummy Registration Card डाउनलोड करें।

3. यदि डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो विद्यार्थी द्वारा कलम से उसके सुधार करने एवं तत्संबंधी विद्यार्थी, माता/पिता/अभिभावक व शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(क) शिक्षण संस्थान के प्रधान उन सभी विद्यार्थियों, जिनका ऑनलाईन सूचीकरण/पंजीयन आवेदन निर्धारित अवधि में भरा गया है, को यह निदेश देंगे कि वे शिक्षण संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए गए अथवा स्वयं के द्वारा समिति के उपर्युक्त वेबसाईट/Mobile App से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आश्वस्त हो लेंगे कि उसमें अंकित किसी विवरण में कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो विद्यार्थी के द्वारा उसे कलम से सुधार किया जाएगा, ताकि त्रुटि का ऑनलाईन सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर **दिनांक 05.07.2025 से 25.07.2025 तक की अवधि में** किया जा सके। **किसी विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में अंकित उसके नाम, माता/पिता के नाम में मात्र लघु स्पेलिंग (i.e. A,E,K,M etc), फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि का सुधार ही कराया जा सकता है। विदित हो कि विद्यार्थी के नाम, माता/पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि त्रुटि संशोधन के क्रम में किसी विद्यार्थी की पूर्ण पहचान बदल दी गयी है, तो उनका सूचीकरण/पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तद्नुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।**

(ख) जिन विद्यार्थियों के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में कलम से सुधार किया जाएगा, वे कलम से सुधार किए गए डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड की दो प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध करा देंगे। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। द्वितीय प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगा।

4. शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों का समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन

सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में कलम से किए गये सुधार के आलोक में संस्थान के अभिलेख से मिलानोपरांत, समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से अपेक्षित संशोधन निर्धारित तिथि के अंतर्गत अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन त्रुटि सुधार के पश्चात् विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के वेबसाईट पर जारी किया जाएगा तथा उसी के आधार पर विद्यार्थी का ऑनलाईन परीक्षा आवेदन स्वीकार किया जाएगा एवं प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। **डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं रह जाए, इसलिए यह अत्यावश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान में विद्यार्थियों से संबंधित संधारित संगत अभिलेखों से मिलान कर निर्धारित अवधि में त्रुटि का ऑनलाईन सुधार कराना/करना सुनिश्चित करेंगे।**

5. डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन के पश्चात् संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पुनः डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना

विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन संशोधन के पश्चात् शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थियों को दो प्रतियों में प्राप्त करा जाएगा। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आश्वस्त हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा, और यह तब तक कराया जाएगा जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए।

6. त्रुटिरहित/संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों की शुद्धता के संबंध में विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक के द्वारा अनिवार्य रूप से घोषणा–पत्र हस्ताक्षरित किया जाना तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा घोषणा–पत्र को समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाना :–

6.1 पूर्व में यह देखा गया है कि विद्यार्थी अथवा उनके माता/पिता/अभिभावक अथवा शिक्षण संस्थान के प्रधान के स्तर पर पर्याप्त सर्तकता नहीं बरते जाने के कारण उनके सूचीकरण/पंजीयन से संबंधित एक या कतिपय विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिए जाते हैं तथा इसके संशोधन हेतु पर्याप्त अवधि तक अवसर दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा त्रुटियों का संशोधन समिति के पोर्टल के माध्यम से नहीं कराया जाता है। सूचीकरण से संबंधित विवरण त्रुटिपूर्ण रह जाने के कारण कतिपय विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने से एवं परिणामतः परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति वांछनीय नहीं है।

6.2 अतः छात्रहित में यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों के साथ–साथ उनके माता/पिता/अभिभावक को भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाए तथा संस्थान प्रधान के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से उसकी शुद्धता के संबंध में घोषणा–पत्र प्राप्त कर उसे समिति के पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। अतएव प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित विवरणों का अवलोकन कर निर्दिष्ट स्थल पर घोषणा–पत्र को तिथि सहित अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित करेंगे। तत्पश्चात् शिक्षण संस्थान के प्रधान भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा–पत्र को हस्ताक्षरित करेंगे। यह अनिवार्य है। उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तद्नुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

6.3 जिस विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं है :– शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक वैसे विद्यार्थी जिनके समिति स्तर से निर्गत डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा–पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर दिनांक **05.07.2025 से 25.07.2025 तक** की अवधि में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।

6.4 जिस विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में पाई गई त्रुटि का ऑनलाईन संशोधन किया गया है :– शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी, जिनके त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों का समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से संशोधन किया गया है, का संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर उसे संबंधित विद्यार्थी को प्राप्त कराएँगे। **विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आश्वस्त हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा, जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए। जब डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाए तब उसमें मुद्रित घोषणा–पत्र को शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर निर्धारित अवधि (दिनांक 05.07.2025 से 25.07.2025 तक) में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। यहाँ पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उस डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को किसी भी हाल में अपलोड नहीं किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा कलम से सुधार किया गया था, बल्कि विद्यार्थी के सुधारोपरान्त पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन अंतिम रूप से किए गए संशोधन के पश्चात् डाउनलोड किए गए संशोधित सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित करवाकर तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोपरांत अपलोड किया जाएगा।**

7. यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समिति के स्तर से विद्यार्थियों का जो मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत किया जाएगा वह शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से किए गए संशोधन के आधार पर ही होगा, न कि उनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए विद्यार्थी/माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणायुक्त संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के आधार पर। अतएव शिक्षण संस्थान के प्रधान त्रुटियों के ऑनलाईन संशोधन के कार्य में पर्याप्त सावधानी व सतर्कता बरतेंगे।

8. माध्यमिक के लिए यह विशेष रूप उल्लेखनीय है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी को विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह–विज्ञान के परीक्षा में शामिल होना होता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी से तात्पर्य है कि वैसे विद्यार्थी जो दोनों आँखों से देखने में सक्षम नहीं है। ऑनलाईन भरे गए पंजीयन के आधार पर ऐसे विद्यार्थियों के डमी पंजीयन कार्ड की कंडिका–7 में निर्दिष्ट कोटि का उल्लेख है। यदि इस कोटि में त्रुटि हो, तो इसका अनिवार्य रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित अवधि में संशोधन करा लेना आवश्यक है।

9. **विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित तिथि तक सुधार किये गये डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड का अवलोकन कर यह आश्वस्त हो लेंगे कि उनके डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में त्रुटि का संशोधन शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कर दिया गया है।** ऑनलाईन त्रुटि संशोधन करने/कराने का उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान के प्रधान के साथ–साथ विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक का भी होगा।

10. यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि समिति द्वारा पोर्टल (**इन्टरमीडिएट के लिए http://seniorsecondary.biharboardonline.com** एवं **माध्यमिक के लिए https://secondary.biharboardonline.com**) पर दिनांक **05.07.2025** से अपलोड किए जा रहे डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने User ID एवं Password का उपयोग कर डाउनलोड करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर व मुहर के साथ दो प्रतियों में संबंधित विद्यार्थी को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराएँगे। विद्यार्थी स्वयं भी समिति की वेबसाईट (इन्टरमीडिएट के लिए **http://ssonline.biharboardonine.com** एवं माध्यमिक के लिए **https://secondary.biharboardonline.com**) से अथवा Mobile App (*BSEB Information App*) से डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक वैसे विद्यार्थी, जिनके समिति स्तर से निर्गत डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा–पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर **दिनांक 05.07.2025 से 25.07.2025 तक** की अवधि में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। **ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तद्नुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।**

10.1 जिन विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में त्रुटि परिलक्षित होती है, विद्यार्थी उसका सुधार कलम से करेंगे तथा इस प्रकार से सुधार किए गए डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड की दो प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध कराएँगे। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। द्वितीय प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में कलम से किए गये सुधार के आलोक में, संस्थान के अभिलेख से मिलानोपरांत, समिति के पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से अपेक्षित संशोधन **दिनांक 05.07.2025 से 25.07.2025 तक** की अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् उन विद्यार्थियों का संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर उसे संबंधित विद्यार्थी को प्राप्त कराएँगे। **विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आश्वस्त हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाईन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाईन संशोधन कराया जाएगा, जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए। जब डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाए तब उसमें मुद्रित घोषणा–पत्र को शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर निर्धारित अवधि (दिनांक 05.07.2025 से 25.07.2025 तक) में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तद्नुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उस डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को समिति के पोर्टल पर किसी भी हाल में अपलोड नहीं किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा कलम से सुधार किया गया था, बल्कि विद्यार्थी के सुधारोपरान्त पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन किए गए संशोधन के पश्चात् पुनः डाउनलोड किए गए संशोधित सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित करवाकर तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोपरांत अपलोड किया जाएगा।**

11. ऑनलाईन डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर इन्टरमीडिएट के लिए हेल्पलाईन नम्बर–0612–2230039 अथवा **E-mail ID: reg.bsebhelpdesk@gmail.com** एवं माध्यमिक के लिए हेल्पलाईन नम्बर–0612–2232074 अथवा **bsebsehelpdesk@gmail.com** पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

सचिव